तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज **<u>मुन्तकिली / टीए / 2154 / 2023 / नागौर</u>** **महेश बनाम कुन्नालाल**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

<u>एकलपीठ</u>

भवानीसिंह पालावत, सदस्य

<u>उपस्थितः</u>

श्री शोकिन्द लाल गुर्जर , अधिवक्ता प्रार्थी

श्री शंकर लाल जाट, अधिवक्ता अप्रार्थीगण

——

<u>निर्णय</u>

<u>दिनांक :— 11—9—2023</u>

1— यह मुन्तकिली प्रार्थनापत्र धारा 233 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) के अन्तर्गत श्री बलबीर सिंह, उप खण्ड अधिकारी, परबतसर के विरूद्ध प्रस्तुत कर उनके विचाराधीन प्रकरण संख्या 39 / 2023 एवं 38 / 2023 उनवानी ''महेश बनाम कुल्लालाल वगैरहा को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने का निवेदन किया गया है।

2— प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

3— विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में तर्क दिया कि अप्रार्थीगण प्रभावशाली व्यक्ति है जिन्होंने पीठासीन अधिकारी से सांठगांठ कर ली है एवं येन केन प्रकारेण स्वयं के पक्ष में निर्णय पारित करने पर आमादा हैं। अप्रार्थीगण प्रभावी एवं राजनीतिक पहुंच वाले व्यक्ति हैं। इसलिए नागौर जिले में प्रशासनिक अमला उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं कर सकता है और उनका काफी प्रभाव है। इसलिए पीठासीन अधिकारी से निष्पक्ष न्याय की उम्मीद नहीं है। इसलिए प्रार्थीया नागौर जिले से बाहर अपने प्रकरण को स्थानांतरित कराना चाहता है। न्याय का यह मूलभूत सिद्धांत है कि न्याय न केवल किया जाना चाहिए अपितु किया हुआ प्रतीत भी होना चाहिए। इस दृष्टिकोण से भी पीठासीन अधिकारी के समक्ष विचाराधीन प्रकरण को नागौर जिले से बाहर किसी अन्य सक्षम न्यायालय में मुंतकिल किया जाना न्यायोचित है जिससे प्रार्थी के साथ उचित न्याय हो सके। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानांतरित करने के आदेश प्रदान किए जावें ताकि प्रार्थी को उचित एवं कानून सम्मत न्याय मिल सके।

4– इसके विरूद्ध अभिभाषक अप्रार्थीगण ने कथन किया कि प्रार्थना–पत्र में लिए गए आधार मनगढ़न्त है। प्रार्थीया स्वच्छ हाथों से नहीं आये हैं एवं प्रकरण को देरीना करने के उद्‌देश्य से प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः भारी कॉस्ट लगाकर मुन्तकिली प्रार्थना–पत्र खारिज किया जावे।

5– हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अध्ययन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने टिप्पणी प्रेषित कर व्यक्त किया है कि उक्त प्रकरण में प्रस्तुत कथन पूर्णतया मनगढ़न्त एवं मिथ्या है। अंत में उन्होंने कथन किया कि इस प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानांतरण किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

6– प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में ऐसा कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह माना जा सके कि पीठासीन अधिकारी, अप्रार्थीगण को अनुचित लाभ पहुंचाने के उदे्श्य से प्रकरण में कार्यवाही कर रहे हो। हमारे मत में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण के निस्तारण में अनावश्यक देरी करने के उद्‌देश्य से काल्पनिक तथ्यों पर आधारित यह मुन्तकिली प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

जैसा कि राजस्व मण्डल की एकलपीठ द्वारा 1994 RRD 117 में यह अभिनिर्धारित किया गया है किः–

"Transfer of a case from a competent Court is not a mere formality but it certainly casts a stigma on its Presiding Officer. It is true that the justice should not only be done but it should appear to have been done. Transferring a case without sufficient or adequate reason even on the basis of consent of the parties or convenience of parties is not called for or cannot be done. There must be a reasonable apprehension in the mind of a litigant seeking transfer of a case from the Court of a particular Presiding Officer. Mere making any observation by the Presiding Officer during hearing an appeal and on the basis of such observations, if any of the parties to the appeal feels that the result of the appeal may go against it, it cannot be said that such a party has a reasonable apprehension that it would not get justice in

the case, ….”

इसी प्रकार 2006–07 (Supp.) RRT 435 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि :–

‘‘फौरी कारणों से मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल नहीं किया जाना चाहिये, क्योंकि इससे न्याय व्यवस्था में व्यवधान पैदा होता है और पीठासीन अधिकारी की विश्वसनीयता में बिना किसी कारण के कमी आती है। बिना किसी ठोस आधारों के मुन्तकिली प्रार्थनापत्र स्वीकार करना न्याय प्रक्रिया के अधीन पक्षकारों को प्राप्त सुविधाओं एवं हकों की आड़ में दुरूपयोग को बढावा नहीं मिलना चाहिये। उच्च अदालतों को यह भी देखना चाहिये कि इस प्रकार के प्रावधानों का abuse of the process of law नहीं हो।’’

7– उक्त न्यायिक दृष्टान्तों का अनुसरण करते हुये हमारा मत है कि न्यायिक प्रक्रिया में विश्वसनीयता होनी चाहिये और अगर किसी पक्षकार द्वारा ठोस कारणों के साथ किसी पीठासीन अधिकारी की निष्पक्षता के बाबत शंका प्रकट की जाती है तो प्रकरण को हस्तान्तरित कर दिया जाना चाहिये किन्तु साथ ही किसी पक्षकार को यह अनुमति भी नहीं दी जानी चाहिये कि वह आधारहीन एवं काल्पनिक तथ्यों के आधार पर न्यायिक प्रक्रिया का अनुचित लाभ लेते हुये अधीनस्थ न्यायालय पर अनावश्यक आरोप लगावे अथवा न्याय के मार्ग में रूकावट पैदा करे। अतः पीठासीन अधिकारी के व्यवहार एवं निष्पक्षता के सबंध में बिना किसी ठोस साक्ष्य के मुन्तकिली प्रार्थनापत्र को स्वीकार कर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

8– उक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना पत्र सारहीन एंव विश्वास योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही पंजीबद्ध कार्यालय की जावे।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह पालावत)
सदस्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज **<u>मुन्तकिली/टीए/2154/2023/नागौर</u>** **महेश बनाम कुन्नालाल**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए